

## प्रेस नोट दिनांक 02.11.2020

1. दिनांक 01.11.20 को वादी श्री नितीश कुमार श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सोनू उर्फ रवि कुमार पुत्र स्व० रोशनलाल नि० दुर्ग माता मंदिर के पास रामनगर थाना का०नगर अयोध्या आदि 06 नफर , **गिरो 2** अभिरुप द्वारा आईपीएल मैच में रूपये का सट्टा लगाकर जुआ खेलना मौके से 02 अदद मोबाइफोन, 02 सट्टा पर्ची, 02 अदद पाकेट डायरी, 02 अदद गाड़ी का नम्बर प्लेट, मालफड़ 1480000 व जामा तलाशी से 20000 रु० बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 733/20 धारा 13 जुआ अधि० व 419, 420, 467, 468, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 01.11.20 को वादी श्री रामशंकर यादव पुत्र छोटेलाल नि० लालपुर रुस्तमनगर थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिवपूजन यादव पुत्र छोटेलाल नि० लालपुर रुस्तमनगर थाना गोसाईगंज अयोध्या आदि 03 नफर अभिरुप द्वारा गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 482/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. दिनांक 01.11.20 को वादी श्री कमल वर्मा पुत्र रामसागर वर्मा नि० सरायनामू थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 42 एपी 0303 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के बहनोई होमगार्ड अवधेश वर्मा की मो०सा० में टक्कर मार देना जिससे गंभीर रूप से घायल हो जाना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 515/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4 दिनांक 01.11.20 को वादी उ०नि० श्री थीरेन्द्र कुमार आजाद थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामसिंह पुत्र रामअभिलाष नि० पंचगवा थाना हैदरगंज अयोध्या **गिरो 2** अभियुक्त द्वारा माननीय न्याया० के जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करते हुए घर पर मौजूद रहना जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 343/20 धारा 3/10 उ०प्र० गुण्डा अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5. दिनांक 01.11.20 को वादी श्री विजय सेन सिंह प्र०निरी० थाना इनायतनगर द्वारा सूचना दिया गया कि राजितराम पुत्र श्यामलाल नि० रनापुर थाना इनायतनगर **गिरो 2** अभिरुप के कब्जे से 25 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 658/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6. दिनांक 01.11.20 को वादी श्री विजय सेन सिंह प्र०निरी० थाना इनायतनगर द्वारा सूचना दिया गया कि 1. श्वेतन्त्रराम पुत्र पहाड़ी 2. पत्नी अनन्तराम 3. पत्नी रामपाल नि०गण रनापुर थाना इनायतनगर **सभी गिरो 2** अभिरुप के कब्जे से क्रमशः 25–25 लीटर कुल 75 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 659/20 से 661/20 धारा 60क आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7. दिनांक 01.11.20 को वादी उ०नि० श्री उमेश कुमार वर्मा थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दिनेश उर्फ जयशंकर पुत्र वासुदेव पाण्डेय नि० मलियन का पुरवा थाना कुमारगंज अयोध्या आदि 03 नफर सभी **गिरो 2** अभिरुप द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना व पकड़े जाना, मौके से मालफड़ व जामा तलाशी के 310 रूपये व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 305/20 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

8. दिनांक 01.11.20 को वादी उ०नि० श्री मनोज कुमार प्रजापति थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार गोस्वामी पुत्र रामसागर नि० मंडिला मजरे सैदपुर थाना मवई अयोध्या **गिरो 2** अभियुक्त के कब्जे से 900 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 458/20 धारा 8/20 एनडीपीएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।